न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
	श्रीमन लाल ....बनाम............ राजि. सरकार मु.नं. 59/24 धारा 136 LR Act 136 LR Act पुनश्च :– पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रार्थी के साक्ष्य लिया जाना उचित है। अत: वकील प्रार्थी के साक्ष्य प्रार्थी पेश करे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थी दिनांक 02.12.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) 2.12.25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नही हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12.12.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 12.12.25 अभिभाषकों द्वारा अभिभाषक संघ चुनाव 2025 के मद्देनजर न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16.01.26 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 16.01.26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वादी की ओर से धर्मी पुत्र किशोरिया जाति मीणा निवासी खुर्थाहेड़ा खुर्द तहसील बैजूपाड़ा जिला दौसा ने उपस्थित होकर शपथ पत्र वास्ते साक्ष्य प्रार्थी पेश किया। वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act पर बहस हेतु निवेदन किया। प्रा.पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रा.पत्र प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रा.पत्र पर विद्वान अभिभाषकों की बहस का मनन किया। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया जाकर खारिज (Reject) किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
59/2024	24.06.2024	16.01.2026

बउनवान

श्रीमनलाल पुत्र किशोरीलाल, निवासी झूथाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थी/सायल

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थी/गैरसायल

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री खेमसिंह गुर्जर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजीयात खाता संख्या 89 के खसरा नं. 314/0.04, 315/0.08, 316/0.04, 317/0.03, 318/0.02, 741/0.18, 743/0.33, 826/877/0.71, कुल किता 8 कुल रकबा 1.43 हैक्टे. में प्रार्थी का हिस्सा 1/8 एवं खाता सं. 91 के खसरा नं. 118/0.03, 247/0.04, 801/0.01, 802/ 0.01 कुल किता 4 कुल रकबा 0.09 हैक्टे. में प्रार्थी का हिस्सा 1/24 समस्त स्थित ग्राम झूथाहेडा खुर्द, पटवार हल्का बैजूपाडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा राज. की तन में स्थित है। विवादित आराजीयात के खाता सं. 89 में प्रार्थी का नाम सुगरिया पुत्र किशोरिया दर्ज है तथा खाता सं. 91 में प्रार्थी का नाम सुनक्या पुत्र किशोरया दर्ज है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ई–श्रम कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक तथा जॉब कार्ड आदि सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम श्रीमन लाल पुत्र किशोरी लाल मीना दर्ज है तथा प्रार्थी के पुत्र व पुत्रियों के शैक्षणिक दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम श्रीमन दर्ज है जो सही है। प्रार्थी को गांव में सुगरिया व सुनक्या के नाम से भी जानते हैं इसलिये प्रार्थी के खातेदारी रिकोर्ड में सहवन से खाता संख्या 89 में सुगरिया पुत्र किशोरिया तथा खाता संख्या 91 में सुनक्या पुत्र किशोरया दर्ज हो गया है जो गलत है। उक्त गलत इन्द्राज की वजह से प्रार्थी को सरकार की किसान कल्याणकारी योजना व अन्य जनहित की योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है। प्रार्थी ने उक्त जमाबन्दियों में दर्ज गलत प्रविष्ठियों को शुद्ध करने हेतु पटवार हल्का बैजूपाडा से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का बैजूपाडा ने प्रार्थी से कहा कि इसे शुद्ध करने हेतु उपखण्ड अधिकारी से आदेश करवाकर लाओ । तब तुम्हारा नाम जमाबन्दी में सही दर्ज होगा। इस प्रकार राजस्व रिकोर्ड ग्राम झूथाहेडा खुर्द के खाता संख्या 89 व खाता संख्या 91 की जमाबन्दियों में प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायहित में है। उक्त अशुद्ध इन्द्राज से प्रार्थी सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित नही हो रहा है तथा भविष्य में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी • मण्डावर (दौसा) •

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

भी उक्त इन्द्राज से प्रार्थी को परेशानी होगी । इसलिये प्रार्थी उक्त अशुद्ध इन्द्राज को शुद्ध करवाना चाहता है। प्रार्थी दिनांक 31.05.2024 को पटवारी के पास अपने रिकोर्ड को देखने गया था तब जाकर उक्त गलत इन्द्राज का पता चला तो प्रार्थी अप्रार्थी तहसीलदार के पास गया और उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने का निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी ने उक्त इन्द्राज को दुरुस्त करने से इंकार कर दिया। लिहाजा प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना लाजिम आया है। प्रार्थना पत्र सुनवाई का न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार बखूबी हासिल है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कोर्ट फीस चस्पा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकोर्ड ग्राम झूथाहेडा खुर्द की जमाबन्दी खाता संख्या 89 में सुगरिया पुत्र किशोरिया तथा खाता संख्या 91 में सुनक्या पुत्र किशोरया में दर्ज नाम के स्थान पर श्रीमन लाल पुत्र किशोरी लाल मीना दर्ज करने के आदेश फरमाने की कृपा करें आपकी अति कृपा होगी।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मण्डावर के द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2025/682 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वादपत्र की विवादित आराजीयात खसरा न. 314 लगायत 318 741, 743, 825/877 कुल किता 8 कुल रकबा 1.43 हैक्टे. में वादी का हिस्सा 1/8 व खसरा सं. 118, 247, 801, 802 कुल किता 4 कुल रकबा 0.09 हैक्टे. में वादी का हिस्सा 1/24 वाके ग्राम झूथाहेडा खुर्द में वादी का नाम सुगरिया / सुकरिया पुत्र किशोरिया जाति मीना दर्ज रिकार्ड है जो मुताबिक हाल जमाबदी अनुसार स्वीकार है। वादी के द्वारा प्रस्तुत किये गये आधार कार्ड राशन कार्ड बैंक की पासबुक आदि में वादी नाम श्रीमन लाल पुत्र किशोरी लाल दर्ज है जिनको सिद्ध करने का भार वादी स्वयं का है तथा उक्त ग्राम की मिसल हकीकत सवंत 2052-71 के अनुसार सही है वादी किस पुराने राजस्व रिकार्ड के आधार पर दुरस्ती करवाना चाहता है वाद पत्र में ऐसा कोई विवरण अकित नहीं किया गया है जिससे दुरस्ती की जा सके।

3. वादी की ओर से धर्मी पुत्र किशोरिया साक्ष्य हेतु उपस्थित हुए तथा इनके द्वारा शपथ पत्र वास्ते साक्ष्य प्रस्तुत किया जिसमे वाद पत्र के तथ्यों को लिखा गया।

4. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी पर मनन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में प्रावधान है कि :

> ***136.*** *गलतियों का शुद्धिकरण– भू–अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार– अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने* ***निरीक्षण के दौरान नोटिस देख लें।***
>
> ***परन्तु जब*** *किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक*

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

शुद्ध नहीं की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो।)

5. प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2076–79 विवादित आराजीयात खसरा न. 314 लगायत 318 741, 743, 825/877 कुल रकबा 1.43 हैक्टे. में वादी का हिस्सा 1/8 व खसरा सं. 118, 247, 801, 802 कुल रकबा 0.09 हैक्टे. में प्रार्थी का हिस्सा 1/24 वाके ग्राम झूथाहेडा खुर्द में प्रार्थी का नाम सुगरिया/सुनक्या पुत्र किशोरिया जाति मीना दर्ज रिकार्ड है। उक्त ग्राम की मिसल हकीकत सवंत 2052–71 में खाता सं. 64 में प्रविष्टि सुगरिया पि. किशोरिया दर्ज है। प्रार्थी किस पुराने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर अपने नाम की दुरूस्ती करवाना चाहता है इसके प्रार्थना पत्र में तथा संलग्न किसी दस्तावेज से विवरण प्राप्त नहीं होता है। प्रार्थी का नाम पूर्व से ही सुगरिया/सुनक्या पुत्र किशोरया दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी उक्त प्रविष्ठी सुगरिया/सुनक्या पुत्र किशोरिया को परिवर्तित करवाकर श्रीमनलाल पुत्र किशोरीलाल करवाना चाहता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से उक्त नाम परिवर्तन का अनुतोष किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 16.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)